

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़)

C.C NO. -315/2004-05

अभिलेख उपास्थापित।

S.B.I, Kuzh द्वारा श्री लीलामाय
देविया, पिता - श्री नारायण देविया पता Kuzh के
विरुद्ध राशि मो 17,56,61- (एक हजार पैंच लै
हियायठ रुपये) वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया
गया है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 827
दिनांक 19/07/24 द्वारा शाखा प्रबंधक S.B.I, Kuzh को पंजी IX से X
के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX
एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस कारण IX से X का
मिलान नहीं हो पाया। फलस्वरूप यह नहीं पता चल पाया कि बकायेदार पर
कितना राशि बकाया है तथा कितना वसुल की गई है। इस कार्यालय संबंधित
कार्यवाहक लिपिक अद्योहस्ताक्षरी के निदेश पर रटिस्टर IX से X से मिलान हेतु
संबंधित बैंक में भेजा गया, परन्तु बैंक की किसी कर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का
कोई भी अभिरुचि नहीं ली गई है। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नहीं
हो पाया। बकाया राशि का अद्यतन राशि की जानकारी नहीं हो पायी।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं लेने
एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन करने तथा वाद
का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, S.B.I, Kuzh
/LDM, रामगढ़ तथा मुख्य
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को दें।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की
जाती है।


12/08/24
अंचल अधिकारी

—सह—

निलाम पत्र पदाधिकारी
माण्डू